



1- गोवंशीय मांस सहित तस्कर गिरफ्तार, थाना मूढापाण्डे -

अवगत कराना है कि दिनांक 01-09-2022 को उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार नेहवाल, थाना मूढापाण्डे द्वारा मय हमराही पुलिसबल 1. शाहिद पुत्र सादर कुरैशी निवासी ग्राम सक्टूनगला थाना मूढापाण्डे जिला मुरादाबाद 2. मौ0 अजमल पुत्र मोबिन अहमद कुरैशी निवासी ग्राम सक्टूनगला थाना मूढापाण्डे जिला मुरादाबाद को 80 किय्रा गोवंशीय मांस व पशु वध करने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया है। इस सम्बन्ध में थाना मूढापाण्डे पर मु0अ0सं0- 249/2022 धारा- 3/5/8 सीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है।

2- शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का वांछित आरोपी गिरफ्तार, सिविल लाइन्स -

अवगत कराना है कि दिनांक 15-07-2022 को वादिनी निवासिनी थाना सिविल लाइन्स क्षेत्रांतर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर गाली-गलौच कर मारपीट करने, अभियुक्त हिमांशु दुबे द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म व अप्राकृतिक मैथुन करने तथा अभियुक्तगण द्वारा बारी-बारी से दुष्कर्म करने व विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन्स पर तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन्स पर मु0अ0सं0- 562/2022 धारा- 376डी, 377, 323, 504, 506 भादवि व 3(2)5, 3(2)5 क , 3(1) ध, 3(1) द एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 02-09-2022 को उ0नि0 सौरभ त्यागी, थाना सिविल लाइन्स द्वारा मय हमराही पुलिसबल वांछित अभियुक्त हिमांशु दुबे पुत्र महेश चन्द्र दुबे निवासी आशियाना फेस प्रथम, थाना सिविल लाइन्स मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया है।

3- दुष्कर्म का वांछित आरोपी गिरफ्तार, थाना कटघर-

अवगत कराना है कि दिनांक 26-06-2022 को वादिनी निवासिनी थाना कटघर क्षेत्रांतर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ गाली-गलौच कर मारपीट करने व दुष्कर्म करने तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कटघर पर तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना कटघर पर मु0अ0सं0 -356/2022 धारा- 323, 376, 504, 506 भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 02-09-2022 को उ0नि0 श्री नीरजपाल सिंह, थाना कटघर द्वारा मय हमराही पुलिसबल वांछित अभियुक्त सुलभ गुप्ता पुत्र विशेष गुप्ता निवासी इन्द्रा कालोनी थाना कटघर जिला मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया है।

4- दुष्कर्म करने के 02 वांछित आरोपी गिरफ्तार, थाना कटघर-

अवगत कराना है कि दिनांक 04-08-2022 को वादिनी निवासिनी थाना कटघर क्षेत्रांतर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के साथ मारपीट व अभियुक्तगण द्वारा दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना कटघर पर तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना कटघर पर मु0अ0सं0- 463/2022 धारा- 323, 506, 376डी भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में दिनांक 01-09-2022 को उ0नि0 श्री नीरजपाल सिंह थाना कटघर द्वारा मय हमराही पुलिसबल वांछित अभियुक्तगण 1. मेघराज पुत्र चोखेराम निवासी कमला विहार बल्देवपुरी थाना कटघर जिला मुरादाबाद 2. अमन पुत्र बब्लू नि0 कमला विहार बल्देवपुरी थाना कटघर जिला मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया है।

5- तीन तलाक देने का वांछित आरोपी गिरफ्तार, थाना कटघर-

अवगत कराना है कि दिनांक 01-09-2022 को वादिनी निवासिनी थाना कटघर क्षेत्रांतर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादिनी से दहेज की मांग करने मांग पूरी न होने पर गाली-गलौच, मारपीट कर तीन तलाक देने के सम्बन्ध में तहरीर दी। तहरीर के आधार थाना कटघर पर मु0अ0सं0- 537/2022 धारा- 498-A, 323, 504 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व 3/4 मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारो की सुरक्षा अधिनियम पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 02-09-2022 को उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह, थाना कटघर द्वारा मय हमराही पुलिसबल वांछित आरोपी इस्लाम उर्फ इस्लामुद्दीन पुत्र अलाउद्दीन निवासी थाना कटघर क्षेत्रांतर्गत को गिरफ्तार किया गया है।

6- कुकर्म करने का वांछित आरोपी गिरफ्तार, थाना भोजपुर-

अवगत कराना है कि दिनांक 01-09-2022 को वादी निवासी थाना भोजपुर क्षेत्रांतर्गत ने अभियुक्त मुफ्ती कासिम द्वारा वादी के पुत्र के साथ कुकर्म करने तथा अभियुक्तगण 2. आदिल पुत्र अली वारिश 3. सरफराज पुत्र ताहिर द्वारा वादी के द्वारा कुकर्म की मोबाइल से वीडियो बनाकर बदनाम करने की धमकी देकर पैसे ऐठने के सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0- 285/2022 धारा- 377/384 भादवि व 5F/6 पोस्को एक्ट व 66E आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 02-09-2022 को उ0नि0 अफजाल अहमद थाना भोजपुर द्वारा अभियुक्त मुफ्ती कासिम पुत्र मौ0 आरिफ निवासी ग्राम बेलखेडा थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया है।

7-गोकशी करने का आरोपी गिरफ्तार, थाना भोजपुर-

अवगत कराना है कि आज दिनांक 02-09-2022 को उ0नि0 श्री ओमकार सिँह थाना भोजपुर द्वारा मय हमराही पुलिसबल जुम्मा पुत्र साबिर निवासी ग्राम बसावनपुर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद को 50 किलो ग्राम गोवंशीय मांस सहित गिरफ्तार किया गया है। इस सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0- 267/2022 धारा- 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशुकूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

8-पशु वध करने के 05 आरोपी गिरफ्तार-

अवगत कराना है कि आज दिनांक 02-09-2022 को उ0नि0 श्री अफजाल अहमद, थाना भोजपुर द्वारा मय हमराही पुलिसबल अभियुक्तगण 1- नदीम पुत्र नसीम 2- कलुवा पुत्र सद्दीका 3- मुशीर पुत्र नबी आयु 4-समर पुत्र अलीम निवासीगण मोहल्ला गुलाब बाडी कस्बा व थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद जिला मुरादाबाद व 5- फुरकान पुत्र रफिया निवासी ग्राम दौलपुरी थाना भगतपुर जिला मुरादाबाद को 03 कुन्तल भैस का मांस व पशु काटने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया है। इस सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0- 286/2022 धारा- 429 भादवि व 11 पशुकूरता निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

9-माननीय मुख्यमंत्री जी को फेसबुक पेज पर अपशब्द, धमकी देने व देश विरोधी पोस्ट करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 13.08.2022 से 17.08.2022 तक फेसबुक पेज पर माननीय मुख्यमंत्री जी को अपशब्द कहते हुये धमकी देने व देश के विरोध में कई पोस्टों की गयीं थी जिनका संज्ञान लेकर वादी उ0नि0 श्री मतीन अहमद थाना सिविल लाईन्स द्वारा दिनांक 21.08.2022 को थाना सिविल लाईन्स पर मु0अ0सं 680/2022 धारा 153ए/505(2) भादवि, 67 आई0टी0 एक्ट बनाम आत्मप्रकाश पंडित नामक फेसबुक आई0डी0 संचालित करने वाला अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत कराया गया।

इन आपत्तिजनक फेसबुक पोस्टों को संचालित करने वाले अज्ञात अभियुक्त की जानकारी कर, शीघ्र गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सिविल लाईन्स, मुरादाबाद के नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण में साईबर सेल व थाना सिविल लाईन्स पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गयी।

विवेचनात्मक कार्रवाई के क्रम में थाना सिविल लाईन्स पुलिस व साईबर सेल द्वारा अथक प्रयास एवं कड़ी मेहनत कर आज दिनांक 02.09.2022 को आत्मप्रकाश पण्डित की फेसबुक आई0डी0 हैक कर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले प्रकाश में आये अभियुक्त संजय शर्मा उर्फ संजय सैनी उर्फ संजू पुत्र देवेन्द्र सैनी निवासी सूर्या नगर लाइनपार हाल निवासी विवेक विहार योजना खुशहालपुर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

संजय शर्मा उर्फ संजय सैनी उर्फ संजू पुत्र देवेन्द्र सैनी निवासी सूर्या नगर लाइनपार हाल निवासी विवेक विहार योजना खुशहालपुर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद।

आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं 680/2022 धारा 153ए/505(2) भादवि, 67 आई0टी0 एक्ट थाना सिविल लाईन्स, मुरादाबाद।

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त संजय शर्मा उर्फ संजय सैनी उर्फ संजू ने पूछने पर बताया कि संजू शर्मा का एक लड़की से पिछले 15 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, सम्बन्धों को लेकर विवाद हुआ था और संजय शर्मा उर्फ संजय सैनी उर्फ संजू की अपनी प्रेमिका के साथ शादी नहीं हो पा रही थी। जिसका जिम्मेदार संजय शर्मा उर्फ संजय सैनी उर्फ संजू आत्मप्रकाश पंडित को मानता था और उससे बदला लेने व सबक सिखाने के लिये संजय शर्मा उर्फ संजय सैनी उर्फ संजू ने आत्मप्रकाश की पुरानी फेसबुक आई0डी का पासवर्ड प्राप्त कर एवं अपनी पहचान को छुपाने के लिये इन्टरनेट हेतु अपने पडोस में रहने वाले व्यक्ति मोहित पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी विवेक विहार कालोनी के जियो वाई-फाई का प्रयोग करते हुए दिनांक 13 अगस्त से 17 अगस्त तक फेसबुक पेज पर Aatmprakash Pandit की फेसबुक आई0डी से आपत्तिजनक एवं देश विरोधी पोस्ट कीं।

बरामदगी:-

1-एक मोबाईल ओपो

2-एक जियो वाई-फाई डिवाइस मय सिम

3-एक राउटर Tenda

खुलासा एवं गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1-निरीक्षक अपराध श्री रमेश चन्द्र थाना सिविल लाईन्स, मुरादाबाद।

2- उ0नि0 श्री राजीव शर्मा प्रभारी सर्विलांस, मुरादाबाद मय टीम।

3-कां0 प्रशान्त सिंह साईबर सेल, मुरादाबाद।

4-आरक्षी अंकित मित्तल थाना सिविल लाईन्स, मुरादाबाद।

5-महिला आरक्षी किरन यादव थाना सिविल लाईन्स, मुरादाबाद।

10- गैंगस्टर एक्ट की आरोपी की करीब 2 करोड रुपये की चल/अचल सम्पत्ति को थाना मझोला पुलिस ने किया कुर्क

अवगत कराना है कि पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ एव अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली, पुलिस महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के आदेशानुसार ड्रस माफिया व सट्टे का कारोबार करने वाले अपराधियो द्वारा अपराधिक क्रिया कलापो से अर्जित की गयी अवैध चल व अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण (कुर्क) हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना मझोला पर पंजीकृत मु०अ०सं० 571/2009 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्ता श्रीमति हसीना पत्नी आजम उर्फ बाबू निवासी मीनानगर जयन्तीपुर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद की लगभग 2 करोड रुपये की चल व अचल सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट मुरादाबाद के आदेश के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर, अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय एवं क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन्स के निर्देशन तथा कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 02.09.2022 को थाना मझोला पुलिस द्वारा कुर्क किया गया।

अपराधिक इतिहास-

श्रीमति हसीना पत्नी आजम उर्फ बाबू निवासी मीनानगर जयन्तीपुर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद ।

- 1 मु०अ०सं० 291/2021 धारा 8/20 NDPS Act. थाना मझोला मुरादाबाद ।
2. मु०अ०सं० 669/2019 8/20 , 21/22NDPS Act. थाना मझोला मुरादाबाद ।
3. मु०अ०सं० 1102/2018 धारा 8/20 NDPS Act. थाना मझोला मुरादाबाद ।
4. मु०अ०सं० 1053/2016 धारा 386 भादवि० थाना मझोला मुरादाबाद ।
5. मु०अ०सं० 333/2016 धारा 3/4 जुआ अधि० थाना मझोला मुरादाबाद।
6. मु०अ०सं० 822//2015 धारा 13 जुआ अधि० थाना कटघर मुरादाबाद।
7. मु०अ०सं० 149 /2015 धारा 386/506 भादवि थाना मुगलपुरा मुरादाबाद।
8. मु०अ०सं० 396 /2011 धारा 8/20 NDPS Act. थाना मझोला मुरादाबाद।
9. मु०अ०सं० 634//2010 धारा 13 जुआ अधि० थाना मझोला मुरादाबाद।
10. मु०अ०सं० 208/2009 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना मझोला मुरादाबाद।
11. मु०अ०सं० 402/2009 धारा 8/15 NDPS Act. थाना मझोला मुरादाबाद।
12. मु०अ०सं० 144/2009 धारा 13 जुआ अधि० थाना मझोला मुरादाबाद।
13. मु०अ०सं० 375/2009 धारा 3/4 जुआ अधि० थाना मझोला मुरादाबाद।
14. मु०अ०सं० 571/2009 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना मझोला मुरादाबाद।
15. मु०अ०सं० 792/2008 धारा 8/20 NDPS Act. थाना मझोला मुरादाबाद।
16. मु०अ०सं० 1026/2007 धारा 13 जुआ अधि० थाना मझोला मुरादाबाद।
17. मु०अ०सं० 1146/2007 धारा 110जी सीआरपीसी थाना मझोला मुरादाबाद।
18. मु०अ०सं० 1156/2007 धारा 3/4/13 जुआ अधि० थाना मझोला मुरादाबाद।
19. मु०अ०सं० 1157/2007 धारा 8/15 NDPS Act. थाना मझोला मुरादाबाद।
20. मु०अ०सं० 98/2006 धारा 13 जुआ अधि० थाना मझोला मुरादाबाद।
21. मु०अ०सं० 513/2006 धारा 21/22 NDPS Act. थाना मझोला मुरादाबाद।
22. मु०अ०सं० 602/2006 धारा 302 भादवि थाना मझोला मुरादाबाद।
23. मु०अ०सं० 928/2006 धारा 21/22 NDPS Act. थाना मझोला मुरादाबाद।
24. मु०अ०सं० 999/2006 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना मझोला मुरादाबाद।
25. मु०अ०सं० 1346//2005 धारा 13 जुआ अधि० थाना मझोला मुरादाबाद।
26. मु०अ०सं० 1118/2004 धारा 13 जुआ अधि० थाना मझोला मुरादाबाद।
27. मु०अ०सं० 1368/2004 धारा 8/20 NDPS Act. थाना मझोला मुरादाबाद।

कुर्क किये जाने वाली सम्पत्ति:-

1. एक प्लाट स्थित मीनानगर जयन्तीपुर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद।
2. एक प्लाट स्थित मौहल्ला टीला मौजा जयन्तीपुर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद।
3. एक मकान स्थित मीनानगर जयन्तीपुर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद ।
4. एक गैराज स्थित मीनानगर जयन्तीपुर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद ।

नोट- अनुमानित कुर्क किये जाने वाली सम्पत्ति का अनुमानित कुल मूल्य:- 2 करोड रुपये (2,00,00,000/-)